न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्याः– 191 / 2003
आरसीएमएस नं. :– 2003 / 00065

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. यासीन खां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी नि0 भादरा त0 भादरा।
2. बाबु खां पुत्र अलीम खां जाति कायमखानी नि0 भादरा तहीसल भादरा।

–– रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्याः– 98 / 2003

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

यासीन खां पुत्र अलीमखां जाति कायमखानी नि0 भादरा त0 भादरा।

–– रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 29.03.2003, प्र. सं. 204 / 03
अनवान यासीन खां बनाम बाबू खां

उपस्थितिः–

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

Lavio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 11.5.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा एवं इस्तकरार हक का एक वाद पेश किया जिसमें अपनी भूमि के चिपती हुई भूमि तहसील भादरा के चक नं. 8 बारानी की मु.नं. 147 के किला नं. 9 की .127, है. किला नं. 10 की .126 कुल 253 है0 भूमि जो सिवाय चक भूमि थी को एडवर्स पजेशन के आधार खातेदारी अधिकार दिये जाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सिवाय चक भूमि थी जो कभी भी रेस्पोडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है, जिसे रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, यदि कब्जा काश्त हो तो भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते हैं। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किये जाने के आदेश पारित किये हैं जबकि स्टेट ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें नोटिस के संबंध में कोई आधार नहीं लिया गया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट/वादी की खातेदारी भूमि के चिपते हुए पश्चिम की ओर स्थित है, जिस पर रेस्पोडेण्ट के पिता अलीम खां का कब्जा था तथा उसके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का ही कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात् साक्ष्य रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत की गई।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

लेकिन अपीलाण्ट की ओर से कोइ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। रेस्पोडेण्ट का वादपत्र अखण्डनीय रहा। रेस्पोडेण्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट ने एक ही आदेश के विरूद्ध दो अपीलें पेश की हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 98/2003 दिनांक 24.11.2003 को प्रस्तुत की गई जो मियाद बाहर है, जिसमें दफा –5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कोई भी कारण अंकित नहीं किये। जबकि दफा –5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र प्रोफौमा में कॉलम खाली है जिसमें किस तारीख को ज्ञान हुआ व कोई अंकन नहीं है। उक्त प्रार्थना–पत्र में निर्णय की नकल दिनांक 15.10.2003 को लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, तथा फोटो प्रति प्राप्त होने के भी कथन किये हैं लेकिन ऐसी कोई प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। तथा इसके अलावा अपील सं0 191/2003 दिनांक 19.05.2003 को प्रस्तुत होना दर्शाया गया है, जिसकी रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 16.06.2003 मुकर्रर की गई है, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 19.11.2003 मुकरर्रर की गई। उक्त अपील बाद में प्रस्तुत की गई है जिसे तहसीलदार ने अपने प्रभाव का नाजायज फायदा उठाकर उसे दिनांक 19.5.2003 को प्रस्तुत होना दर्शाया हे। अपीलाण्ट ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उसमें यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवासीय भूखण्ड है। रेस्पोडेण्ट ने न्यायालय का ध्यान रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 19.09.2022 क्योंकि उपरोक्त भूमि पर आबादी बस चुकी है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रिपोर्ट पटवारी हल्का डोबी दिनांक 19.09.2022 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मौके पर उक्त रकबा में प्लाटिंग की हुई है। उक्त प्लाटिंग किन व्यक्तियों द्वारा की गई है इस संबंध में पटवारी हल्का ने कोई कथन नहीं किये हैं तथा न ही उनको अपील में पक्षकार बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय द्वारा बार बार मंगवाने पर भी प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि मुताबिक रिपोर्ट मौका पर प्रश्गनत भूमि पर प्लाटिंग हो चुकी अर्थात भूमि आवासीय के रूप में उपयोग में ली जा रही है होने के कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य पक्ष द्वारा एक ही आदेश के विरूद्ध दो अपील प्रस्तुत कर रखी है। इससे यह स्पष्ट है राज्य पक्ष अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है तथा अपील भी साईक्लोस्टाई प्रोफार्मा में प्रस्तुत की गई है। उक्त परिस्थतियों में दोनों अपीलें खारिज योग्य हैं।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आया नहीं है। इसलिए निर्णय की प्रमाणित प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.5.23

(करतारसिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)